पत्रांक-6/शि-48/2002 ...

झारखंड सरकार

मानव संसाधन विकास विभाग

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय

प्रेषक,

श्री महादेव प्रसाद,
निदेशक(माध्यमिक शिक्षा)
झारखंड, रांची ।

सेवा में,

सचिव,
सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली ।

रांची, दिनांक 21 अप्रील, 2003

विषय:- झारखंड राज्य के अन्तर्गत संचालित निजी विधालयों को सी०बी०एस०ई० से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि मानव संसाधन विकास विभाग झारखंड सरकार के द्वारा विचारोपरान्त सी०बी०एस०ई० से राज्य के अन्तर्गत संचालित निजी विधालयों की सम्बद्धता के लिये निम्नांकित विधालयों को नीचे अंकित शर्तों एवं बन्धेजों के अधीन अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया है :-

क्रमांक- विधालय का नाम

1. ब्रीज फोर्ड स्कूल, तमुडाना, रांची
2. टेन्डर हर्ट सिनियर सेकेण्ड्री विधालय, तमुडाना, रांची
3. राधागोविन्द पब्लिक स्कूल, मारार टोला, रामगढ़ कैन्ट ।
4. त्रिवेणी विधालय, तिलैया डैम, कोडरमा ।
5. मदर्स इन्टरनेशनल एकादमी, मधुपुर
6. मीना देवी डी०ए०भी० पब्लिक स्कूल देवघर ।
7. देहरोक स्कूल, मास्टर टाउन, देवघर ।
8. आर०डी०पब्लिक स्कूल, गढ़वा ।
9. सरस्वती शिशु विद्यामंदिर बापपरोरा, धनबाद ।
10. सार्ईन पब्लिक स्कूल, झुमरी तिलैया, कोडरमा ।

1. विधालय की वार्षिक बचत आय 10% से अधिक नहीं हो [illegible] प्रमाणित हो सके कि विधालय लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से स्थापित नहीं [illegible] गया है । कुल आय का 10 प्रतिशत जो बचत होगी उसका उपयोग भी विधालय के विकास में किया जायेगा । विधालय में कार्यरत सभी कर्मियों को कम से कम राज्य सरकार में कार्यरत समकक्ष कर्मियों को देय वेतन एवं भत्ते के बराबर भुगतान करना होगा ।

2. विधालय को किसी प्रकार का अनुदान नहीं दिया जायेगा ।

3. विधालय को शहरी क्षेत्र में 2 एकड़ एवं ग्रामीण क्षेत्र में 4 एकड़ भूमि विधालय के नाम से निबंधित या कम से कम 30 वर्षो के निबंधन पट्टा/लीज पर होना चाहिये । यदि भविष्य में जाँचोपरान्त भिन्न स्थिति पाई जायगी तो अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस लेने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा ।

4. विधालय में हिन्दी भाषा की पढ़ाई अनिवार्य रूप से होनी चाहिये ।

5. नामांकन हेतु किसी प्रकार का डोनेशन या कैपिटेशन फीस नहीं लिया जायगा ।

6. गरीबी रेखा से नीचे के छात्रों का 10 प्रतिशत स्थान नामांकन के लिए सुरक्षित होगा साथ ही सामान्य शुल्क 50 प्रतिशत शुल्क लिया जायेगा ।

7. विधालय का कार्य-कलाप राष्ट्रहित में होना चाहिये । विधार्थियों में राष्ट्रीयता का संचार, नैतिक तथा राज्य के सांस्कृतिक मूल्यों, ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा वैज्ञानिक ज्ञान वर्द्धन शारीरिक एवं व्यक्तित्व विकास हेतु सकारात्मक प्रयास करना होगा ।

8. विधालय में छात्रों की समुचित संख्या एवं उसके अनुपात में शिक्षक होना चाहिये ।

9. विधालय में नामांकन प्रक्रिया, कर्मियों की संख्या एवं योग्यता एवं नियुक्ति प्रशिक्षण आदि में समय-समय पर राज्य सरकार समीक्षोपरान्त संशोधन कर सकेगी।

10. विधालय संचालन हेतु गठित नियमावली के आधार पर गठित शासी निकाय के सदस्यों का कार्यावधि पूर्ण होने पर नये सदस्यों की सूची जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा ।

11. राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न प्रकार के एक्सटेन्सन एवं प्रोग्राम तथा एन०सी०सी०, एन०एस०एस०स्काउट एंव गाईड आदि को सुचारू रूप से करना होगा ।

12. यदि कोई संस्था पूर्व से किसी बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त हो तो विभागीय परिपत्र संख्या-1055 दिनांक 5-9-2001 के अनुसार शर्त्तों का पालन करना होगा अन्यथा अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस लेने का सर्वाधिकार राज्य सरकार में सुरक्षित होगा ।

13. उपर्युक्त शर्त्तों या कण्डिकाओं के अनुपालन न करने की स्थिति में राज्य सरकार को अनापत्ति प्रमाण-पत्र रद्द करने का अधिकार होगा ।

14. अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिए विधालय द्वारा समर्पित कागजातों एवं अभिलेखों को जाली अथवा वास्तविक स्थिति से भिन्न पाया जाये या विधालय द्वारा राष्ट्र या राज्यहित के विरुद्ध किया जा रहा है हो या ऐसा कार्य जिससे सामाजिक कटुता फैलता हो तो सरकार निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र को वापस ले सकती है ।

15

...नहीं इसकी जाँच समय-समय पर मानव संसाधन विकास झारखंड के सक्षम पदाधिकारी द्वारा की जायेगी तथा सरकार जब चाहे विद्यालय संस्था के वित्तीय एवं अकादमिक अनियमितताओं की जाँच करा सकेगी और जाँचोपरान्त अनुवर्ती कार्रवाई कर सकेगी ।

16. एतद विषयक किसी प्रकार के न्यायिक मामलों का निपटारा माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, राँची के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत होगा ।

17. समय-समय पर लोकहित में सरकार द्वारा विद्यालय सम्बन्धित संबंधी जो निर्णय लिए जायेंगे उसका अनुपालन करना अनिवार्य होगा अन्यथा शर्त्तों के उल्लंघन मानते हुए अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस लेने के साथ-साथ अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जा सकेगी ।

विश्वासभाजन

(हस्ताक्षर) 21/4/2003

(अलखदेव प्रसाद)
निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
झारखंड, राँची ।

ज्ञापांक 935 / राँची, दिनांक 21 अप्रैल, 2003

प्रतिलिपि, संबंधित सभी क्षेत्रीय उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य को सूचनार्थ प्रेषित ।

(हस्ताक्षर) 21/4/2003

(अलखदेव प्रसाद)
निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
झारखंड, राँची ।

ज्ञापांक 935 / राँची, दिनांक 21 अप्रैल, 2003

प्रतिलिपि, माननीय मंत्री के आप्त सचिव / सचिव मानव संसाधन विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(हस्ताक्षर) 21/4/2003

(अलखदेव प्रसाद)
निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
झारखंड, राँची ।